संख्या- 76/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच, जालौन एवं गाजीपुर।

राजस्व अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांकः 30 जनवरी, 2025**

विषयः- बाढ़/अन्य आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों हेतु जनपदों में प्रयुक्त किये गये वायु सेना के हेलीकॉप्टरों के किराये के भुगतान हेतु धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक एयर कोमोडोर, वायु ऑफिसर कमान्डिंग, वायुसेना स्टेशन, मेमोरा, बंथरा, लखनऊ के पत्र सं0-505/सं इ/773/8/लेखा, दिनांक 11.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विभिन्न जनपदों में बाढ़/अन्य आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्य हेतु प्रयुक्त किये गये भारतीय वायु सेना के विमानों/हेलीकॉप्टरों के किराये के लम्बित बिलों का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वायुसेना द्वारा प्रेषित बिलों में से बाढ़/अन्य आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य हेतु प्रयुक्त किये गये वायुसेना के विमानों/हेलीकॉप्टरों के किराये के लम्बित बिलों का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में जनपद बहराइच, जालौन एवं गाजीपुर द्वारा एयरलिफ्ट की सेवाएं लिये जाने की पुष्टि की गयी है, उनका विवरण निम्नवत है:-

जनपद	बिल संख्या	बिल की धनराशि	सत्यापित धनराशि	सत्यापित न की गयी धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
बहराइच	बिल सं0-एस0जी0-यू0पी0/1/2016-17	8525000.00	7254000.00	1271000.00	कॉलम-4 में अंकित सत्यापित धनराशि (72,54,000/-) का भुगतान पूर्व में शासनादेश दिनांक 30-10-2023 द्वारा किया जा चुका है।
जालौन	बिल सं0-एस0जी0-यू0पी0/2/2021-22	5365750.00	2830750.00	2535000.00	कॉलम-4 में अंकित सत्यापित धनराशि (28,30,750/-) का भुगतान पूर्व में शासनादेश दिनांक 30-10-2023 द्वारा

					किया जा चुका है।
गाजीपुर	बिल सं0-एस0जी0-यू0पी0/2/2017-18	831333.00	-	831333.00	अभी सत्यापित नहीं

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वायुसेना स्टेशन मेमौरा, बन्थरा, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपद बहराइच, जालौन एवं गाजीपुर में राहत बचाव एवं अन्य कार्यों के सापेक्ष प्रयुक्त किये गये विमानों/हेलीकॉप्टरों के किराये के लम्बित बिलों के क्रम में जनपद बहराइच, गाजीपुर एवं जालौन द्वारा वर्तमान में की गयी पुष्टि/सत्यापन के दृष्टिगत जनपद बहराइच, गाजीपुर एवं जालौन में एयरलिफ्ट सेवाओं के लम्बित बिलों का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार राज्य आपदा मोचक निधि से क्रमशः रु0 12,71,000/- रु0 25,35,000/- एवं रु0 8,31,333/- इस प्रकार कुल **रु0 46,37,333/- (छियालीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी बहराइच, जालौन एवं गाजीपुर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

जनपद	**बिल संख्या**	**बिल की धनराशि**	**पूर्व में सत्यापित धनराशि (जिसका भुगतान शासनादेश दि0 30-10-2023 द्वारा किया जा चुका है।)**	**वर्तमान में सत्यापित धनराशि जिसकी स्वीकृति दी जा रही है।**
बहराइच	बिल सं0-एस0जी0-यू0पी0/1/2016-17	85,25,000/-	72,54,000/-	12,71,000/-
जालौन	बिल सं0-एस0जी0-यू0पी0/2/2021-22	53,65,750/-	28,30,750/-	25,35,000/-
गाजीपुर	बिल सं0-एस0जी0-यू0पी0/2/2017-18	8,31,333/-	-	8,31,333/-
कुल धनराशि				**46,37,333/-**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु वायुसेना द्वारा राहत बचाव एवं अन्य कार्यों के सापेक्ष प्रयुक्त किये गये विमानों/हेलीकॉप्टरों के किराये सम्बन्धी सत्यापित बिलों के सापेक्ष तत्काल वायुसेना को भुगतान की जाएगी।

(2) सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में सत्यापित एवं वर्तमान में सत्यापित धनराशि का बिल की धनराशि से मिलान करके विधिवत पुष्टि के उपरान्त ही धनराशि अन्तरित की जाएगी।

(3) सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार आहरण किया जायेगा तथा उक्त धनराशि आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट के माध्यम से सी०डी०ए० (ए०एफ०) वेस्ट ब्लॉक-वी, आर०के० पुरम, नई दिल्ली के भारतीय स्टेट बैंक में संचालित बैंक खाता संख्या-10933101051, आई०एफ०एस०सी० कोड-SBIN0001076 में अन्तरित की जायेगी।

(4) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(5) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023 के अनुसार किया किया जायेगा।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(9) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वितीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

4- उक्त व्यय **रु0 46,37,333/- (छियालीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस)** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड 800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

<u>संख्या- 76(1)/एक-10-2024, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।

4- श्री विक्रम गौर, एयर वाइस मार्शल, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

5- श्री अभय सैली, स्क्वाड्रन लीडर, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, 505, सिग्नल यूनिट, एयरफोर्स स्टेशन, मेमौरा, बंथरा, लखनऊ।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

7- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद बहराइच, जालौन एवं गाजीपुर।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्षः-2024-2025
आवंटन दिनांक-30/01/2025

प्रेषण संख्याः- 76
आवंटन आदेश संख्याः- 002-76
अनुदान संख्याः- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षकः- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2535000 55035000	2535000 55035000
2	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	831333 16209933	831333 16209933
3	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1271000 79771000	1271000 79771000
	योग	वर्तमान प्रगामी	4637333 151015933	4637333 151015933

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छियालीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़ दस लाख पन्द्रह हजार नौ सौ तैंतीस

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।